

## डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 17/2024-25 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर (एटीक्यू) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि  
(01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 21 मार्च, 2025

तृतीय तल, उड़ान भवन  
सफदरजंग हवाईअड्डा  
नई दिल्ली – 110003

## 15 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

### अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का टूअप

- 4.11.1 तालिका 10 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।
- 4.11.2 तालिका 11 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए वैमानिक मूल्यहास को मानना।
- 4.11.3 तालिका 12 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए आरएबी को मानना।
- 4.11.4 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के प्रयोजनार्थ 14% एफआरओआर को मानना।
- 4.11.5 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के प्रयोजनार्थ तालिका 13 में प्रस्तुत किए अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 4.11.6 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के प्रयोजनार्थ तालिका 21 के विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 4.11.7 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 25 के अनुसार वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।
- 4.11.8 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 28 में दिए गए विवरण के अनुसार एआरआर और कम वसूली को मानना तथा कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि में पुनः समायोजित करना।

### अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

- 5.6.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 32 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यात्री और एटीएम यातायात को मानना।
- 5.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री और एटीएम) को टूअप करना।

### अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

- 6.8.1 तालिका 41 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।
- 6.8.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर पूंजीगत व्यय को टूअप करना।
- 6.8.3 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। तथापि, यदि परियोजना के पूरा होने में देरी किसी ऐसे कारण से हुई है जो एएआई या उसकी अनुबंध एजेंसी के नियंत्रण से बाहर है और उचित रूप से न्यायोचित है, तो प्राधिकरण द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक लागत को टूअप करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।
- 6.8.4 तालिका 43 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यहास को मानना।
- 6.8.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यहास को टूअप करना।
- 6.8.6 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 45 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।
- 6.8.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टूअप करना।
- 6.8.8 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा के लेखांकन की जांच करना और तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।

## अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.6.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 46 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 11.90% एफआरओआर को मानना।

## अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.5.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 48 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

## अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.6.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 54 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान एएआई द्वारा अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

## अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

10.6.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 59 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय एएआई द्वारा अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्राप्त किए गए वास्तविक गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

## अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.5.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 63 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.5.2 तालिका 63 में अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार टू-अप के विवरण को ध्यान में रखकर वैमानिक कर की राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

## अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.6.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

## अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.6.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 67 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को मानना।

## अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.6.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 72 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

## 16 आदेश

- 16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा संलग्नक-1 में बताए अनुसार अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 16.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि के आदेश के संलग्नक-1 पर दिए गए दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 16.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- 16.4 यह आदेश 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी किया जाएगा।
- 16.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)  
सचिव

सेवामें,

अध्यक्ष,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,  
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,  
नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि:

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए





